आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल

आवेदन पत्र निःशुल्क

अंकों की पुनर्गगणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

समय सीमा
परीक्षा परिणाम की तिथि से पन्द्रह दिन तक ।

पुनर्मूल्यांकन के नियमों का संक्षेप पृष्ठ पर पीछे दिया गया है । कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ ले ।

प्रति,

कुलसचिव,
आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)

दिनांक.....

महोदय,

निवेदन है कि मैं.....परीक्षा.....की अपनी उत्तर पुस्तिका विषय/प्रश्न–पत्र.....की पुनर्गगणना/पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता/चाहती हूं । जिसके लिए निर्धारित शुल्क रूपये.....रसीद क्रं.....दिनांक.....के द्वारा जमा करा दिया है ।

1. परीक्षार्थी का पूरा नाम.....
2. परीक्षा का नाम.....वार्षिक/पूरक/वर्ष.....रोल नं.....
3. अनुक्रमांक शब्दों में.....नामांकन.....
4. परीक्षा केन्द्र.....
5. विषय/प्रश्नपत्र जिसकी पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन करना है:–
   1. .....
   2. .....
6. पूरा पता जिस पर परिणाम भेजा जाए :–

नाम.....

पता.....

.....

मो.नं.....

भवदीय

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

टिप्पणी:–

1. अंकों की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा ।
2. त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त माना जायेगा ।
3. एक विषय के अंकों की पुनर्गणना के लिए शुल्क 20/– और एक से अधिक या सब विषयों के लिए शुल्क 100/– रूपये देय होगा ।
4. पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 200/– (दो सौ रूपये मात्र) है ।
5. दो से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं शुल्क जप्त होगा ।

पुनर्मूल्यांकन नियमों की सरल भाषा में प्रस्तुति

1. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें कुलपति महोदय के अनुमोदन से दो परीक्षकों को (उस मूल परीक्षक को छोड़कर जिसने मूल रूप से उस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया हो) मूल्यांकन हेतु भेजी जावेगी । ऐसे परीक्षक विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर के रहेंगे । पुनर्मूल्यांकन हेतु मूल परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई उत्तर पुस्तिकायें एवं परीक्षकों के लिए प्रश्नपत्र निर्माता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में एक रूपता हेतु बनाये गये दिशा निर्देश **(Memorandum of instructions)** की एक प्रति दोनों परीक्षकों को भेजी जाएगी, जिससे कि वह दिशा निर्देश के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकें । यदि कुल दस से कम अभ्यर्थी ने ही उस प्रश्न पत्र की परीक्षा दी हो तो उन सभी की उत्तर पुस्तिकाएं दोनों परीक्षकों को भेजी जायेंगी ।

2. यदि पुनर्मूल्यांकन के परीक्षकों द्वारा दिये गये अंक और मूल परीक्षक द्वारा दिये गये अंकों में, प्रश्नपत्र के अधिकतम अंक **(Total Marks)** के दस प्रतिशत से अधिक का अंतर हो तो इन दो परीक्षकों के अंकों तथा मूल परीक्षक द्वारा दिये गये अंक में से दो नजदीक के अंकों का औसत निकाला जावेगा । इस औसत अंक को ही छात्र का प्राप्त अंक माना जावेगा । छात्र के परीक्षाफल में परिवर्तन हेतु यह औसत अंक छात्र को प्रदत्त किये जावेंगे । यानि कि यदि दस प्रतिशत से कम का अंतर आवेगा तो प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

3. दो परीक्षकों में से कम से कम एक के द्वारा दिये गये अंक मूल अंकों में से दस प्रतिशत से अधिक है, और तीन परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों में से दो के अंक एक सामान है तो जो अंक अभ्यार्थी के लिये लाभप्रद होगा उसे सही मूल्यांकन माना जायेगा ।

4. परंतु यदि पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप यदि किसी आवेदक छात्र के प्राप्तांकों में पूर्णांक के बीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है तो कुलपतिजी द्वारा ऐसी उत्तर पुस्तिका मूल परीक्षक द्वारा दिये गये अंक तथा पुनर्मूल्यांकन के लिये नियुक्त दोनों परीक्षकों के द्वारा दिये गये अंक की जानकारी देते हुए, विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के बाहर के एक वरिष्ठ परीक्षक को पुनर्मूल्यांकन के लिये भेजी जावेगी । फिर इस परीक्षक द्वारा दिये गये अंक ही अंतिम रूप से मान्य किये जावेंगे ।